

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ**

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

संख्या 1870/2025

अंजनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री अंकित त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के पत्र दिनांक 22.12.2025 के अनुसार, विपक्षी संख्या-2 पर नोटिस की तामीली पर्याप्त है। हालांकि, अग्रिम जमानत का विरोध करने के लिए निजी विपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। इस न्यायालय ने 16.03.2026 को यह संप्रेक्षण किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचीबद्ध होने की आगामी तिथियों पर, वाद को बीमारी सहित किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा और उचित आदेश, जिसमें निजी विपक्षी के प्रति प्रतिकूल आदेश शामिल है, प्रथम पुकार में ही पारित किया जाएगा, भले ही निजी विपक्षी के अधिवक्ता अनुपस्थित हों" उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने वाद को अंतिम रूप से निर्णीत करने की कार्यवाही की।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया ।

3. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकों द्वारा वाद अपराध संख्या 0144/2025, धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम , पुलिस स्टेशन सादतपुर, जिला - सीतापुर के संबंध में दाखिल किया गया है ।

4. आदेश दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से, इस न्यायालय ने आवेदक के हितों का संरक्षण किया था । संदर्भित आदेश दिनांक 03.12.2025, इस प्रकार है: -

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

2. वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपराध संख्या 144/2025 , धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम , पुलिस स्टेशन सादतपुर, जिला सीतापुर में गिरफ्तारी की आशंका के दृष्टिगत अग्रिम जमानत हेतु दाखिल किया गया है ।

3. प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी कि सूचनादाता की पुत्री का विवाह आवेदक के पुत्र से हुआ था। तत्पश्चात, संपूर्ण ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी ।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक ननद है । शव-परीक्षण आख्या के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व फांसी लगाना है और मृतका के शरीर पर फंदे के निशान के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पाई गई । सह-आरोपी, जो पति और देवर/जेठ हैं, को जमानत पर रिहा कर दिया गया है । आवेदक ने एक आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 6998/2025 भी प्रस्तुत की थी, जिसमें आवेदक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था ।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया ।
6. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक के विरुद्ध आरोप उक्त सह-आरोपियों के समान ही हैं, तथा शव-परीक्षण आख्या पर भी विचार करते हुए, मेरा यह मत है कि आवेदक तदर्थ अग्रिम जमानत के लाभ की हकदार है ।
7. नोटिस जारी करें ।
8. विपक्षी संख्या-2 पर एक सप्ताह के भीतर तामीली हेतु कदम उठाए जाएं ।
9. चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध करें ।
10. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक अंजनी को उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या में विचारण के समापन तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और 20,000/- रुपये प्रत्येक की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तदर्थ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:

- (क) आवेदक सुनवाई में उपस्थित होने का वचन देने हेतु एक बंधपत्र निष्पादित करेगी;
- (ख) आवेदक ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगी जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके कारित करने का संदेह है; और
- (ग) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करे।
- (घ) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।"

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पत्रावली से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथित कोई प्रतिकूल तथ्य मौजूद हैं। यह न्यायालय पाता है कि वाद के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता किसी ऐसे तथ्य को भी इंगित नहीं कर सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है या अन्यथा कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य जो वाद के गुणावगुण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एतद्वारा स्वीकार किया जाता है और आवेदक अंजनी को विचारण के निस्तारण तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत विस्तारित की जाती है:-

- (i) यह कि आवेदक जब भी आवश्यकता होगी, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगी;

- (ii) यह कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे;
- (iii) यह कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
- (iv) यह कि आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) यह कि आवेदक अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं लाएगी/डराएगी-धमकाएगी नहीं ।

7. चूक की स्थिति में, अन्वेषण अभिकरण के लिए इस आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प खुला रहेगा ।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

मार्च 19, 2026

एम एल /-